

न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:- श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्या:- 26/2020

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थी

1. शिंभूसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
2. राजूसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
जाति रावणा राजपूत,
निवासी बड़ला बासनी,
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

तहसीलदार तिंवरी

उपस्थित-

प्रार्थीगण की ओर से :- अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा।

अप्रार्थी की ओर से :- सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

-निर्णय:-

दिनांक 9.9.2020

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:- प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 37 बीघा 11 बिस्वा, मौजा ग्राम बड़ला बासनी, तहसील तिंवरी में आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जाति दरोगा दर्ज है। जबकि हमारी वास्तविक जाति रावणा राजपूत है तथा हमारी अन्य खातेदारी भूमि ग्राम बड़ला बासनी के खसरा नम्बर 134 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा के राजस्व रिकॉर्ड में जाति रावणा राजपूत दर्ज है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 37 बीघा 11 बिस्वा मौजा ग्राम बड़ला बासनी तहसील तिंवरी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज की जावें।



प्रमुख अधिकारी, ओसियां

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज किये जाने की अनुशंसा की। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पर लिया गया।

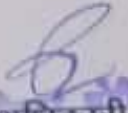
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—आदेश—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 37 बीघा 11 बिस्वा मौजा ग्राम बड़ला बासनी तहसील तिंवरी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 9.9.202 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, ओसियां